रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2003/माघ 14, 1924
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2003/MAGHA 14, 1924

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2003

6 प्रतिशत भारत सरकार क्षतिपूर्ति (ईराक को परियोजना निर्यात) बांड, 2008 का निर्गमन।

फा. सं. 4(12)डब्ल्यू एण्ड एम/2001.— भारत सरकार एतद्द्वारा 6 प्रतिशत भारत सरकार क्षतिपूर्ति (ईराक को परियोजना निर्यात) बांड,2008 का निर्गम अधिसूचित करती है,जिसका यहां इसके बाद संक्षेप में प्रतिपूर्ति बांड के रूप में उल्लेख किया गया है।

1. उद्देश्य :

ईराक सरकार और भारत सरकार के बीच अ-आस्थगित भुगतान व्यवस्था (नॉन डीपीए) के अन्तर्गत ईराक से परियोजना प्राप्यों की एवज में भुगतान बंद होने से उत्पन्न होने वाली भारतीय परियोजना निर्यातकों और ऋणदाता बैंकों की देयता संबधी समस्याओं को हल करने की दृष्टि से ऋणदाता बैंकों और भारतीय परियोजना निर्यातकों के पक्ष में बांड निर्गमित किए जाएंगे।

2. पात्रता और राशियां :

क्षतिपूर्ति बांड अनुबंध-I में नामोदिष्ट ऋणदाता बैंक और अनुबंध-II में नामोदिष्ट परियोजना निर्यातकों को भारत सरकार द्वारा आबंटित राशि तक उक्त अनुबंध में नामोदिष्ट उनके संबंधित नामों के सामने दर्शाए गए अनुसार निर्गमित किए जाएंगे। उपरोक्त ऋणदाता बैंकों और परियोजना निर्यातकों को छोड़कर बैंक,कंपनी, निगम अथवा अन्य किसी निकाय सहित कोई भी व्यक्ति बांड में अभिदान करने का पात्र नहीं होगा।

3. मूल्य :

क्षतिपूर्ति बांड का निर्गम मूल्य प्रत्येक 10,000 रुपए(नामिनल) के लिए 10,000 रुपए होगा।

4. आवेदन-पत्र :

क्षतिपूर्ति बांड पात्र ऋणदाताओं बैंकों और परियोजना निर्यातकों से अनुबंध-III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन-पत्र देने पर निर्गमित किए जाएंगे।

5. अवधि का प्रारंभ और वापसी-अदायगी की तारीख :

क्षतिपूर्ति बांड की अवधि दिनांक 1.10.2001 से प्रारंभ होगी। बांड से प्राप्त होने वाला ब्याज प्रारंभ होने की तारीख से प्राप्त होगा। क्षतिपूर्ति बांड की वापसी-अदायगी सममूल्य पर दिनांक 1.10.2008 को भारतीय रिजर्व बैंक के उस लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी, जहां वे वापसी-अदायगी के समय पंजीकृत हैं।

6. ब्याज :

क्षतिपूर्ति बांड पर प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर पर ब्याज मिलेगा। ब्याज क्षतिपूर्ति बांड की अवधि प्रारंभ होने की तारीख से मानी जाएगी और यह परिपक्वता तक उस तारीख से वार्षिक रूप में शेष राशि पर देय होगी। तथापि, अगर क्षतिपूर्ति बांड के निर्गमन की तारीख को वार्षिक ब्याज भुगतान अतिकाल देय हो जाता है तो सरकार अतिकालावधि के लिए भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर अतिकाल देय ब्याज पर ब्याज अदा करेगी।

क्षतिपूर्ति बांड पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, चेन्नई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुअनंतपुरम स्थित लोक ऋण कार्यालयों में देय होगा। ब्याज की राशि को निपटान रुपए तक पूर्णांकित करके ब्याज अदा किया जाएगा।

7. प्रतिभूति का प्रारूप :

क्षतिपूर्ति बांड स्टॉक के रूप में अर्थात स्टॉक प्रमाणपत्र अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों में रखे सहायक सामान्य बही खाते में जमा करके निर्गमित किए जाएंगे।

8. न्यूनतम राशि और मूल्य वर्ग :

क्षतिपूर्ति बांड न्यूनतम 10,000 रुपए (नामिनल) के लिए और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में निर्गमित किया जाएगा।

9. हस्तांतरणीयता :

(i) इस अधिसूचना के पैराग्राफ 7 के उपबंधों के अधीन, लोक ऋण अधिनियम,1944 के उपबंधों और उसके अधीन निर्मित लोक ऋण नियमावली,1946 के अनुसार क्षतिपूर्ति बांड धारक द्वारा नवीकृत,उप-विभाजित, समेकित, परिवर्तित और हस्तांतरित किये जा सकते हैं।

(ii) यह उक्त पैराग्राफ 2 में उल्लिखित बात को ध्यान में रखते हुए भी अभिदाताओं द्वारा बैंकों,निर्गमों अथवा अन्य किसी निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अंतरणकर्ता इसे धारित और ऐसे तरीके से अंतरित करने का भी हकदार होगा।

10. सांविधिक प्रावधान :

क्षतिपूर्ति बांड लोक ऋण अधिनियम,1944 और उसके अधीन बनाए गए लोक ऋण नियम, 1946 द्वारा शासित किए जाएंगे।

11. कर-कानूनों की प्रयोज्यता :

क्षतिपूर्ति बांड में निवेश का मूल्य और उस पर दिया गया ब्याज समय-समय पर यथा-प्रयोज्य कर-कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित किया जाएगा।

12. बांड की पात्रता :

क्षतिपूर्ति बांड में निवेश उधारकर्ता बैंकों द्वारा पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा और क्षतिपूर्ति बांड को प्राप्त करने के लिए पात्र परियोजना--निर्यातक अथवा बैंक,वित्तीय संस्थानों सहित अन्य संस्थान,निगम अथवा अन्य कोई निकाय जिसे क्षतिपूर्ति-बांड बाद में अंतरित किए जाते हैं, जिसे किसी सांविधिक अपेक्षा अथवा प्रशासनिक आदेश,जैसा भी मामला हो,के अनुसरण में उनके द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाना अपेक्षित होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

डी. स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

अनुबंध-I

क्र. सं.	ऋणदाता बैंक का नाम	बांड का आबंटन (नामिनल मूल्य) (रुपए)
1.	भारतीय आयात-निर्यात बैंक	105,02,00,328
2.	बैंक ऑफ इंडिया	53,13,85,060
3.	केनरा बैंक	56,70,85,812

अनुबंध-II

क्र. सं.	परियोजना निर्यातक का नाम	बांड का आबंटन (नामिनल मूल्य) (रुपए)
1.	मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स लिमिटेड	83,59,86,246

अनुबंध-III

मुम्बई
दिनांक :

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक
लोक ऋण कार्यालय
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई--400 001

प्रिय महोदय,

6 प्रतिशत भारत सरकार क्षतिपूर्ति (ईराक को परियोजना निर्यात) बांड,2008

भारत सरकार वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय की 3 फरवरी, 2003 की अधिसूचना एफ.सं.4(12)डब्ल्यूएंडएम/2001 की शर्तों के अनुसार,मैं/ हम ....., ...रुपए के कुल अंकित मूल्य के उपर्युक्त शीर्षक वाले बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होने के रूप में अनुबंध I/II में सूचीबद्ध किए गए हैं। तदनुसार,मैं/हम,मेरे/हमारे पक्ष में आबंटित बांडों की उपर्युक्त राशि सहित,लोक ऋण-कार्यालय,मुंबई में मेरे/हमारे एसजीएल खाता सं0.....को क्रेडिट करने,मेरे/हमारे पक्ष* में स्टॉक प्रमाण-पत्रों के रूप में बांड जारी करने का अनुरोध करते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
कार्यालय मुहर/सील

*** जो लागू न हो,उसे काट दें।**

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2003

Issue of 6 per cent Government of India Compensation (Project Exports to Iraq) Bonds, 2008

F. No. 4(12)-W&M/2001.— Government of India hereby notifies the issue of 6 per cent Government of India Compensation (Project Exports to Iraq) Bonds, 2008 hereinafter briefly described as the Compensation Bonds.

1. Objective:

With a view to resolving the liquidity related problems of Indian project exporters and lending banks arising out of the stoppage of payments against the project receivables from Iraq under non- Deferred Payment Arrangement (Non- DPA) between Government of Iraq and Government of India, Compensation Bonds will be issued in favour of lending banks and Indian project exporters.

2. Eligibility and Amounts:

Compensation Bonds will be issued to the lending banks named in the Annexure I and project exporters named in the Annexure II to the extent of the amounts allocated by the Government of India as shown against their respective names in the said Annexures. No person including a bank, company, corporation or any other body except the said lending banks and project exporters shall be eligible to subscribe to the bonds.

3. Price:

The issue price of the Compensation Bonds will be Rs.10,000 for every Rs.10,000 (nominal).

4. Application:

The Compensation Bonds shall be issued on application from the eligible lending banks and project exporters as per proforma in Annexure III.

5. Commencement of tenure and date of repayment:

The tenure of the Compensation Bonds will commence from 1-10-2001. Interest in the bond will accrue from the date of commencement. The Compensation Bonds will be repaid at par on October 1, 2008 at Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at which they are registered at the time of repayment.

6. Interest:

The Compensation Bonds will bear interest at the rate of 6 per cent per annum. Interest will be reckoned from the date of commencement of tenure of the Compensation Bonds and will be payable annually from that date on the amount outstanding till maturity. However, in case the annual Interest payment becomes overdue as on the date of issue of the Compensation Bonds, Government will pay Interest on the overdue Interest at the rate of 6 per cent per annum for the overdue period till the date of payment.

Interest on the Compensation Bonds will be payable at the Public Debt Offices of Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Chennai, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram. Interest will be paid after rounding off the amount of interest to the nearest rupee.

7. Form of Security:

The Compensation Bonds will be issued in the form of stock, i.e. Stock Certificates or by credit to Subsidiary General Ledger Account maintained with the Public Debt Offices of Reserve Bank of India.

8. Minimum Amount and Denomination:

The Compensation Bonds will be issued for a minimum amount of Rs.10,000 (nominal) and in multiples to Rs.10,000 thereafter.

9. Transferability:

(i) Subject to the provisions of paragraph 7 of this Notification, the Compensation Bonds can be renewed, subdivided, consolidated, converted and transferred by the holder in accordance with the provisions of the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

(ii) Notwithstanding what is stated in paragraph 2 hereinabove there will be no restrictions on the transfer of the Compensation Bonds by the subscribers in favour of any other person including banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

10. Statutory Provisions:

The Compensation Bonds will be governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

11. Applicability of Tax Laws:

The value of the investment in the Compensation Bonds and the interest thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

12. Eligibility of Bonds:

The investment in the Compensation Bonds would not be considered as an eligible investment by the lending banks and the project exporters eligible to receive the Compensation Bonds or the banks, other institutions including Financial Institutions, Corporation or any other body to which the Compensation Bonds are subsequently transferred which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory requirement or administrative order as the case may be.

By Order of the President of India

D. SWARUP, Addl. Secy. (Budget)

ANNEXURE I

Sr. No.	Name of the lending Bank	Allocation of Bonds (Nominal value) (Rs.)
1	Export-Import Bank of India	105,02,00,328
2	Bank of India	53,13,85,060
3	Canara Bank	56,70,85,812

ANNEXURE II

Sr. No.	Name of Project Exporter	Allocation of Bonds (Nominal Value) (Rs.)
1.	M/s. Som Dutt Builders Ltd.	83,59,86,246

ANNEXURE III

Mumbai
Date:

To

The Chief General Manager
Public Debt Office
Reserve Bank of India
Mumbai 400 001.

Dear Sir,

6 per cent Government of India Compensation (Project Exports to Iraq) Bonds, 2008

In terms of Government of India, Ministry of Finance and Company Affairs, Notification F.No. 4(12)-W&M/2001 dated 3rd February, 2003, I/we _____ have been listed in Annexure I /II as eligible to receive the captioned bonds for an aggregate face value of Rs._____. Accordingly, I / we request you to * credit my / our SGL Account No. _____ with Public Debt Office, Mumbai with the above amount of bonds allocated in my / our favour * issue the bonds in the form of Stock Certificates in my / our favour.

Yours faithfully,

Signature :

Name :

Designation :

Office Stamp / Seal :

***Strike out whichever is not applicable**

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.